

न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी

प्रकरण संख्या 01/17

सरकार

प्रार्थी

बनाम्

1. रामजीलाल,बीर सिंह,सुरेश,शास्त्री लाल पि0 दवीराम जाति जाटव निवासी मोहारी
2. बिजेद्रसिंह पुत्र फूसिया जाति जाटव निवासी मोहारी
3. रामदयाल पुत्र फूसिया जाति जाटव निवासी मोहारी

अप्रार्थीगण

पीठासीन अधिकारी –जय सिंह, आर.ए.एस.

निर्णय

दिनांक 28.12.2017

हस्तगत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बसेडी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नादनपुर मार्ग से मोहारी के खेतों की ओर जाने वाले रास्ता जो मोके पर चालू है मोके पर कोई विवाद व स्थगन आदि नहीं है यह रास्ता आराजी खसरा नम्बर 675 रकवा 0.18 है0 जिसके खातेदार रामजीलाल,बीर सिंह,सुरेश,शास्त्री लाल पि0 दवीराम जाति जाटव निवासी मोहारी तथा आराजी खसरा नम्बर 676/1 रकवा 0.37 है0 जिसके खातेदार बिजेद्रसिंह पुत्र फूसिया जाति जाटव निवासी मोहारी एवं 676/2 रकवा 0.78 है0 के खातेदार रामदयाल पुत्र फूसिया जाति जाटव निवासी मोहारी है , ख0न0 675 में से 0.01 676/1 में से 0.01, तथा 676/2 में से 0.01 है0 भूमि की किश्म खारिज करते हुये राजस्व अभिलेख में उक्त खसरा नम्बरों के प्रभावित क्षेत्र को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1597 के नियम 60,ब 66 के तहत वास्ते अग्रिम कार्यवाही करने का निवेदन किया है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीण वावजूद सूचना के अनुपस्थित आये, तहसीलदार बसेडी के प्रार्थना पत्र,संलग्न नक्शा ट्रेस ,जमावन्दी तथा सुसंगत अधिनियम,नियम व परिपत्रों का अवलोकन व मनन किया गया । तहसीलदार बसेडी के प्रस्ताव को स्वीकार करना उचित समझते है

अतः आदेश है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3(1) में भू अभिलेख अधिकारी को प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 59,60,66 एवं 86 के प्रावधान व तहसीदार के प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख में मोके के



उपखण्डाधिकारी
बसेडी (धौलपुर) राज0